फर्द अहकाम

नाथूलाल बनाम रामगोपाल वगै0

पत्र संख्या: 77/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22.03.2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियॉ पेश की है। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर, अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अंतरिम अरथाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम सायपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बरान् 478, 417, 48 के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो, अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर जारी होकर आदेश 39 नियम 3 की पालना में दिनांक 24.04.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (साँगानेर)	नोटिस जारी 12/4/219 22/3/24
3/4/2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में संबंधित [illegible] वाद को [illegible] प्रार्थना के आधार पर खारिज किया [illegible] को कुछ भी [illegible] का आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] [illegible] होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (साँगानेर)	नाथूलाल [illegible] Manoj (मनोज [illegible]) 3/4/2024

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:21:56 IST
Reason: SelfAttested